(ख) क्या बीकानेर में ऐसे कर्मचारियों की संख्या चार है; और

(ग) क्या श्री गंगानगर में कुल मिलाकर 14 रेल डिब्बे हैं जिनके लिए कर्मचारियों को आरक्षण करना पड़ता है और इस काम के लिए कम से कम चार कर्मचारी होने चाहिएं और यदि हां, तो क्या वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर चार कर दी जायेगी और यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर में पांच पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) जी हां । श्री गंगानगर में पूछताछ एवं आरक्षण लिपिकों के दो और पदों के सृजन के प्रस्ताव पर रेल प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

आसाम में मेल का साहेबपुर कमाल जंक्शन पर रुकना

5587. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4-अप और 3--डाऊन आसाम मेल पूर्वोत्तर रेलवे में साहेबपुर कमाल जंकशन पर गत अनेक वर्षो से रुकती रही है ;

(ख) क्या यह गाड़ी अब मंत्रालय के आदेशानुसार उक्त जंकशन पर नहीं रुकती है; और

(ग) क्या लोगों की आशाओं का आदर करते हुए सरकार का विचार उक्त गाड़ी को उस स्टेशन पर खड़ी करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, 1-10-77 से पहले ।

(ख) और (ग). 1-4-78 से साहिब पुर कमाल जंक्शन पर 3/4 आसाम मेल गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की गयी है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक ग्रुपों के विरुद्ध मामले

5588. **श्री रामकिशन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत कितने औद्योगिक ग्रुपों के विरुद्ध मामले दायर किये गये थे और क्या जांच पड़ताल के बाद जिन उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जायगी ; और

(ख) क्या उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुछ मामले जांच कार्य के पूरा होने से पूर्व ही वापस ले लिए गए थे और यदि हां तो उसकी सूची क्या है और उसके क्या कारण है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) शब्द "औद्योगिक समूह" की एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में, परिभाषा नहीं दी गई है । वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार वे सभी उपक्रम जिनके पास स्वयं की अथवा अपने सम्बन्धित उपक्रमों सहित 20 करोड़ रु० से कम नहीं की, की परिसम्पत्तियां हों, अथवा जो प्रभाव उपक्रम हों, एकाधिकार एवं निबंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं । ऐसी परिकल्पना है कि निर्देश "औद्योगिक समूह" का, तात्पर्य एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों से हैं । इस अधिनियम की धारा 10, 27 व 31 के अनुसरण में 288

निर्देश एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को जांच के लिये भेजे गये हैं। इनकी सूची अनुलग्नक "क" के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2017/78]

(ख) हां श्रीमान् जी। एक मामले में पार्टी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन पर आयोग को दिया गया निर्देश अपखंडित कर दिया गया था। आयोग को दिये गये निर्देश को अपखंडित करते हुये केन्द्रीय सरकार आदेश की एक प्रति अनुलग्नक 'ख' के रूप में संलग्न है।

Derailment of Jayanti Express near Nagpur

5589. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have seen the press reports in the *Hindustan Times* dated the 16th March, 1978 wherein it has been stated that Jayanti Express derailed near Nagpur;

(b) if so, the cause of the accident;

(c) the estimated loss of life and property; and

(d) whether any inquiry has since been conducted and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN): (a) Yes.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) There was no loss of life amongst the passengers or train crew. However, one gangman who was working at the site was killed. The cost of damage to railway property has been estimated at approximately Rs. 3,30,000/-.

(d) This accident is being inquired into by a Committee of Senior Railway Officers.

Proposal to shift Headquarters of Hindustan Fertilizer & Co. from Calcutta

5590. SHRI SAMAR GUHA:
SHRI DINEN BHATTACHARYA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether representations have been made to him against the proposal to shift headquarters of the Hindustan Fertilizer & Co. from Calcutta; and

(b) if so, the reaction of the Government thereabout?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM, AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes Sir.

(b) The head-quarters of the Fertilizer Corporation of India Ltd., the National Fertilizers Ltd. and the Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. are for the present located in Delhi. The question of their final locations is under examination of the government.

M/s. B.A.S.F. India Limited

5591. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether BASF India Limited, a multinational chemical company has decided to expand its activities in India;

(b) whether the company has been allowed to set up two new units this year for the manufacture of leather chemicals; and

(c) if so, on what ground or grounds?